



2026 : AHC : 47843

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7169 वर्ष 2026

विजय सिंह त्यागी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजय मिश्रा, आशीष कुमार मिश्रा, रितेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्री कृष्ण मिश्रा, और राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:-

"1. प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ताओं के दिनांक 25.10.2024 और 30.9.2025 के प्रत्यावेदनों पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए परमादेश (मैंडमस) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.10.2024 और 30.9.2025 के प्रत्यावेदनों (रिप्रेजेंटेशन) पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए, जो अभी भी विचाराधीन हैं।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली को प्रत्यावेदनों पर अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं दिया है, अतः प्रतिवादी संख्या 2 कानून के अनुसार उक्त प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

पी.पी.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।